क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

क्र.एफ.9–बी–24 / 2019–20 / दिनांक 18.03.2020

अति–आवश्यक सूचना

आज पूरा देश कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने को तैयार है और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस वायरस को समाज में फैलने से रोकने के लिए पारस्परिक दूरी (social distancing) को सर्वाधिक प्रभावी उपायों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है। समय समय पर कोरोना वायरस से संबंधित जारी की गई केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ एंव परिवार कल्याण मंत्रालय DOPT एंव NCERT की एडवाइजरी दिशा निर्देश एंव दिनांक 18.03.2020 को संस्थान में विभिन्न बैठकों में अधिकारी व छात्र प्रतिनिधियों के द्वारा सर्व सम्मति से कोरोना वायरस से बचने के लिए कदम उठाने हेतु निम्नलिखित निर्णय तत्काल प्रभाव से 31.03.2020 तक के लिए प्रभावी रहेंगें।

1. संस्थान व विद्यालय की समस्त शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियाँ 31.03.2020 तक स्थगित की जाती है।
2. इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएँ संस्थान में 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगी।
3. प्रायोगिक परीक्षा की नई तिथियाँ संस्थान की वेबसाइट पर यथासमय सूचित की जायेगी। विद्यार्थियों को संस्थान की वेबसाइट प्रतिदिन देखने की सलाह दी जाती है।
4. विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस अवधि में छात्रावास को खाली कर अपने–अपने घर चले जाएँ।
5. दिनांक 21.03.2020 से 31.03.2020 तक छात्रावास बंद रहेंगें।

18/03/2020

अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक एन सी ई आर टी, नई दिल्ली
2. परीक्षा नियंत्रक, म.द.स विश्वविद्यालय, अजमेर
3. अधिष्ठाता (अकादमिक / शोध)
4. सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली
5. सभी विभागाध्यक्ष (डीईएसएम / डीई / डीईई / डीईएसएसएच)
6. उप–पुस्तकालयाध्यक्ष
7. मुख्य छात्र सलाहकार / चीफ वार्डन / समस्त छात्रावास वार्डन
8. प्रधानाध्यापक, डीएमएस
9. चिकित्सा अधिकारी
10. प्रशासनिक अधिकारी / लेखाधिकारी
11. स.का.स. (स्थापना) / अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)
12. स.का.स. (प्राचार्य)
13. सुरक्षा पर्यवेक्षक
14. सभी सूचनापट्ट (संस्थान, विद्यालय एवं सभी छात्रावास / गेस्ट हाऊस / संस्थान की वेबसाइट)